भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2271
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

रोजगार और बेरोजगारी की दर

2271. श्री.एम. सेल्वराजः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः
डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार और बेरोजगारी की वृद्धि दर राज्य-वार कितनी है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार वृद्धि दर के संबंध में निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) रोजगार वृद्धि दर में गिरावट, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा देश में रोजगार की विकास दर में सुधार करने और विशेषरूप से आरक्षित वर्ग के मध्य बेरोजगारी में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)'

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों सहित 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी की अनुमानित दर क्रमशः अनुबंध-। एवं ।। पर दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए 3 वर्षों की अवधि हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।

अनुबंध-I

रोजगार और बेरोजगारी की दर के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2271 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति के अनुसार आयु समूहः 15 वर्ष एवं उससे अधिक कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) प्रत्येक/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पीएलएफएस*	श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण**	
		2018-19	2017-18	2016-17
1	आंध्र प्रदेश	54.8	57.2	65.0
2	अरुणाचल प्रदेश	40.9	42.3	54.6
3	असम	43.4	43.7	59.4
4	बिहार	36.4	35.5	43.7
5	छत्तीसगढ़	61.2	62.4	55.8
6	दिल्ली	44.5	42.7	41.5
7	गोवा	45.9	42.9	43.9
8	गुजरात	49.7	47.4	49.2
9	हरियाणा	41.9	41.7	43.4
10	हिमाचल प्रदेश	63.9	58.9	46.7
11	जम्मू और कश्मीर	52.9	51.0	39.0
12	झारखंड	44.9	41.7	46.7
13	कर्नाटक	49.3	49.1	56.9
14	केरल	44.9	41.2	45.2
15	मध्य प्रदेश	52.3	54.3	49.6
16	महाराष्ट्र	50.6	50.5	55.9
17	मणिपुर	44.3	42.5	61.7
18	मेघालय	61.8	62.3	64.8
19	मिजोरम	45.6	46.4	66.4
20	नागालैंड	38.1	32.8	51.8
21	ओडिशा	47.6	44.9	47.1
22	पंजाब	44.2	42.9	43.1
23	राजस्थान	50.0	48.2	50.2
24	सिक्किम	61.1	58.7	52.0
25	तमिलनाडु	51.4	51.0	59.0
26	तेलंगाना	50.6	49.8	64.1
27	त्रिपुरा	41.9	42.0	57.9
28	उत्तराखंड	41.4	40.6	44.5
29	उत्तर प्रदेश	40.8	41.8	45.4
30	पश्चिम बंगाल	49.7	47.8	49.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.1	48.7	50.6
32	चंडीगढ़	47.3	46.9	40.5
33	दादर और नगर	68.6	66.3	42.8
34	दमन और दीव	55.1	63.2	53.0
35	लक्षद्वीप	29.5	34.4	50.3
36	पुडुचेरी	47.8	37.8	48.5
	अखिल भारत	47.3	46.8	50.7

(टिप्पणी: #पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।

स्रोत: * वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18 एवं 2018-19, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

** रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

अनुबंध-II

रोजगार और बेरोजगारी की दर के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2271 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा।

(% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पीएलएफएस*		श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण**
		2018-19	2017-18	2016-17
1	आंध्र प्रदेश	5.3	4.5	3.1
2	अरुणाचल प्रदेश	7.7	5.8	4.2
3	असम	6.7	7.9	4.4
4	बिहार	9.8	7.0	5.4
5	छत्तीसगढ़	2.4	3.3	2.9
6	दिल्ली	10.4	9.4	4.6
7	गोवा	8.7	13.9	10.1
8	गुजरात	3.2	4.8	0.8
9	हरियाणा	9.3	8.4	5.2
10	हिमाचल प्रदेश	5.1	5.5	2.6
11	जम्मू और कश्मीर	5.1	5.4	8.1
12	झारखंड	5.2	7.5	5.8
13	कर्नाटक	3.6	4.8	1.8
14	केरल	9.0	11.4	11.1
15	मध्य प्रदेश	3.5	4.3	4.0
16	महाराष्ट्र	5.0	4.8	1.6
17	मणिपुर	9.4	11.5	3.9
18	मेघालय	2.7	1.6	3.3
19	मिजोरम	7.0	10.1	2.9
20	नागालैंड	17.4	21.4	5.2
21	ओडिशा	7.0	7.1	4.7
22	पंजाब	7.4	7.7	6.5
23	राजस्थान	5.7	5.0	2.7
24	सिक्किम	3.1	3.5	5.9
25	तमिलनाडु	6.6	7.5	3.7
26	तेलंगाना	8.3	7.6	2.7
27	त्रिपुरा	10.0	6.8	15.0
28	उत्तराखंड	8.9	7.6	3.3
29	उत्तर प्रदेश	5.7	6.2	5.2
30	पश्चिम बंगाल	3.8	4.6	3.7
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.5	15.8	8.3
32	चंडीगढ़	7.3	9.0	1.3
33	दादर और नगर	1.5	0.4	1.8
34	दमन और दीव	0.0	3.1	1.5
35	लक्षद्वीप	31.6	21.3	5.2
36	पुडुचेरी	8.3	10.3	5.7
	अखिल भारत	5.8	6.0	3.9

(टिप्पणी: #पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।)

स्रोत: * वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18 एवं 2018-19, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

**रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।